न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, भरतपुर

(पीठासीन अधिकारी: बीना महावर, आर0ए0एस0)

पत्रावली संख्या : 14/2021 प्रार्थना पत्र (खा.सु.अ.)

केशव कुमार गोयल, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, भरतपुर।

आवेदक

बनाम

नरेश कुमार पुत्र बाबूलाल अग्रवाल उम्र 45 वर्ष (खाद्य कारोबारकर्ता, मालिक एवं विक्रेता) मैसर्स अग्रवाल स्वीटस बस स्टैण्ड रूपवास जिला भरतपुर निवासी गंगा मंदिर कॉलोनी फाटक के बाहर रूपवास जिला भरतपुर।

गैरसायल

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 26(2) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 एवं नियम 2011.

उपस्थित :– 1. प्रार्थी (सायल)
2. गैरसायल स्वयं

निर्णय

दिनांक : 22.03.2021

आवेदक द्वारा यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 26(2) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अन्तर्गत विरूद्ध गैरसायल दिनांक 08.02.2021 को प्रस्तुत किया गया है। गैरसायल को नोटिस जारी किया गया। गैरसायल दिनांक 22.03.2021 को उपस्थिति हुआ। इस्तगासा की नकल गैरसायल को दी गई। नियत दिनांक 22.03.2021 को गैरसायल को इस्तगासा में अंकित आरोप सुनाया गया कि दिनांक 29.10.2020 को दोपहर 01.00 बजे गैरसायल की दुकान मैसर्स अग्रवाल स्वीटस बस स्टैण्ड रूपवास का निरीक्षण किया गया। वक्त निरीक्षण दुकान पर 12 किग्रा0 मिठाई (बर्फी) आम जनता को विक्रय करने हेतु रखे हुये था। जिसमें शक होने पर नियमानुसार मौके पर 2 किग्रा0 मिठाई (बर्फी) 400/–रूपये में क्रय की गई तथा उसमें से नमूना लिया गया तथा मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, भरतपुर द्वारा खाद्य विश्लेषक अलवर के यहां जांच हेतु भिजवाया गया। खाद्य विश्लेषक की जांच रिपोर्ट संख्या

न्याय निर्णयन अधिकारी
एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
भरतपुर (राज.)

एलएस/712/एक्ट/2020/784 दिनांक 08.11.2020 द्वारा उक्त मिठाई (बर्फी) का नमूना अवमानक स्तर (Sub Standard) प्रकृति का पाया गया है।

आरोपो को सुन व समझकर गैरसायल ने कथन किया कि यह प्रोडेक्ट मानव सेवन के लिये कतई हानिकारक नहीं है क्योकि प्रार्थी दूधियों से दूध क्रय करके उसका मावा तैयार कर फिर बर्फी का निर्माण करता था। प्रार्थी के द्वारा बर्फी निर्माण में सावधानी बरती गई लेकिन हो सकता है कि प्रार्थी का मिठाई निर्माण करते समय गलत चीज का हाथ लग गया हो। जांच में जो कमिया पायी गई है उन्हे सहवनवश एवं गलती स्वरूप अप्रार्थी स्वीकार करता है। जिसका मेरे द्वारा तत्समय ही सुधार कर लिया गया है। गैरसायल की यह त्रुटि सहवन से होने के कारण आरोप को स्वीकार करता है। भविष्य में गैरसायल अधिक सजगता बरतते हुये किसी भी खाद्य पदार्थ का आम जनता को विक्रय करेगा। अतः गैरसायल के प्रति नरम रूख अपनाते हुए जुर्माना किये जाने की प्रार्थना की है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। गैरसायल के कथनों पर गौर किया। वक्त निरीक्षण दिनांक 29.10.2020 को गैरसायल के दुकान पर संग्रहित 12 किग्रा0 मिठाई (बर्फी) का नमूना लिया गया है। जो खाद्य विश्लेषक अलवर की जांच रिपोर्ट दिनांक 08.11.2020 में अवमानक स्तर (Sub Standard) प्रकृति का पाया गया है। गैरसायल के द्वारा उक्त मिठाई (बर्फी) का निर्माण दूधियों से दूध क्रय करके उसका मावा तैयार कर विक्रय करना बताया। गैरसायल के द्वारा भविष्य में अधिक सजगता से खाद्य पदार्थो का आम जनता के लिये विक्रय किया जाना दौराने सुनवाई स्वीकार किया गया है। ऐसी स्थिति में गैरसायल को भविष्य में इस प्रकार की अनियमितता नहीं करने की चेतावनी दी जाती है। गैरसायल के द्वारा उक्त अनियमितता प्रथम वार किया जाना स्वीकार किया गया है। अतः उक्त अधिनियम की धारा 51 के तहत गैरसायल के द्वारा की गई अनियमितता के आधार पर 2500/– रूपये (दो हजार पांच सौ रूपये) अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। गैरसायल अर्थदण्ड की राशि नियमानुसार राजकोष में जमा करावे। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर बाद पूर्ति दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दि. 22.03.2021 को सरे इजलास सुनाया गया।

(बीना महावर)
न्याय निर्णयन अधिकारी
एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर
भरतपुर (राज.)

खाद्य सुरक्षा अधिकारी